रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2014/वैशाख 17, 1936
No. 251] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2014/VAISAKHA 17, 1936

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2014

सा.का.नि. 324(अ).— मोटरयान अधिनियम 1988 ,(1988 का 59) की धारा की उपधारा 212(1) के अधीन यथाअपेक्षित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिएयम भारतप्रारूप नि , सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.नि.का. संख्यांक 798(अ) तारीख संबरदि 26, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख ,संबरदि 262013 में प्रकाशित किए गए थेसमें उनजि , सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां, जनता को संबरदि 26, 2013 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम,) 19881988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (**पांचवा** संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम के उपनियम 50(3) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु अग्रभाग में रजिस्ट्रीकरण् चिन्ह एक पंक्ति में दर्शित किया जा सकता है और यदि मिमी 200 x .मी.मि 100 ए एक पंक्ति दर्शित करने के लिन्हकरण चिस्ट्रीट में रजिआकार वाली प्ले में पर्याप्त स्थान नही हैकरण स्ट्रीरजि , क कोमेरि न्यू के अल्फाचिन्हनिम्नानुसार और नियम ट मे सुरक्षा गुणोंमाओं को रखते हुए प्लेके अनुसार सभी वि 51 :या जाएगात किना दर्शिवधान के बिमें व्य

(i) न्हकरण चिजहां रजिस्ट्रीमें अल्फा न्यूमेरिक चिन्हों की कुल संख्या समसंख्यक हैक पंक्तितब वहां प्रत्ये , में अल्फा न्यूमेरिक चिन्ह बराबर संख्या मेंऔर ;

(ii) जहां रजिस्ट्रीकरण चिन्ह में अल्फा न्यूमेरिक चिन्हों की कुल संख्या विषम हो अल्फाक्तरितब वहां अति , को दूसरी पंक्तिन्हक चिमेरिन्यू में दर्शित किया जाएगा :"

[फा. सं. आरटी-11028/07/2012-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः मूल नियम सा.नि.का. सं0 590(अ), तारीख 2 जून,1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.नि.का. सं. 291(अ), तारीख 24 **अप्रैल,** 201द्वारा 4 अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2014

G.S.R 324(E) –Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under Sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 798(E), dated the 26th December, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 26th December, 2013;

And, whereas, no objections and suggestions have been received from the public on the said draft rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (5th Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 50, in sub-rule (3), for the first proviso, following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the registration mark in the front may he exhibited in one one line in case, in 200mm x 100mm size plate , there is no sufficient space to exhibit the registration mark in one line, the alpha numeric of the registration mark shall be displayed as under:

(i) where the total number of alpha numeric characters in the registration mark is even, then, equal number of alpha numeric character in each line; and

(ii) where the total number of alpha numeric characters in the registration mark is odd, then any extra alpha numeric character shall be exhibited on the second line,

and all dimensions shall be maintained as per rule 51 without disturbing security features in the plate:"

[F. No. RT-11028/07/2012-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: -The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590 (E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended *vide* number G.S.R. 291(E), dated the 24th April, 2014.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.